विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2025 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-27 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
27(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि सरोजनीनगर सैनिक कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सरोजनीनगर लखनऊ को नगर निगम लखनऊ में कब नोटीफाइड किया गया ?	अधिसूचना दिनांक 05.02.1987 द्वारा सरोजनीनगर क्षेत्र को नगर निगम, लखनऊ के क्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित किया गया।
(ख) उक्त सोसायटी में नगर निगम द्वारा कब-कब विकास कार्य कराये गये, का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	सैनिक कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सरोजनीनगर, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत सोसाइटी को नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित नही किया गया है।
(ग) नगर विकास द्वारा यदि उक्त सोसाइटी को नोटीफाइड नही किया गया है तो सोसाइटी के निवासियों को गृह कर का नोटिस भेजने का क्या औचित्य है ?	नगर निगम क्षेत्र में स्थित भवनों पर गृह कर का आरोपण नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-3(2) एवं धारा-177 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाता है। धारा- 3(2) - संविधान के अनुच्छेद-243-य के खण्ड (2) के अधीन किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा राज्यपाल किसी क्षेत्र को नगर में सम्मिलित करें, वहाँ ऐसे क्षेत्र पर इस या किसी अन्य अधिनियमित के अधीन बनाई गयी या जारी की गयी और ऐसे क्षेत्र को सम्मिलित किये जाने के ठीक पूर्व नगर में प्रवृत्त अधिसूचनायें नियम, विनियम, उपविधियों, आदेश और निदेश लागू हो जायेंगे और इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित समस्त कर फीस और प्रभार उपर्युक्त क्षेत्र में लगाये और वसूल किये जायेंगे और किये जाते रहेंगे। धारा-177(ज) - भवन स्वामी द्वारा अध्यासित आवासीय भवनों जो किसी ऐसे क्षेत्र में हों, जिसे 5 वर्ष के भीतर निगम की सीमा में सम्मिलित किया गया हो अथवा उस क्षेत्र में सड़क, पेयजल और मार्ग प्रकाश की सुविधायें उपलब्ध करा दी गई हो, जो भी पहले हो।
(घ) अवैध ढंग से गृह कर का नोटिस अध्यासियों को भेजने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व कार्यवाही करायेंगे ?	प्रश्न नहीं उठता है।

ए.के. शर्मा
मंत्री,
नगर विकास विभाग।